न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–608/2026

(उत्पाद झंझापरु थाना कांड संख्या–43/2026; अन्तर्गत धारा: 30(ए), 32(1), 32(3) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम दुर्गानंद कुमार चौपाल

दिनांक	आदेश न्यायालय के हस्ताक्षर सहित	अभियुक्ति
18.07.2026 लगातार...	आवेदक अभियुक्त **दुर्गानंद कुमार चौपाल,** उम्र–20 वर्ष, पिता–रंतोष चौपाल, ग्राम–सोहपुर, थाना–नरहिया, जिला–मधुबनी की ओर से उत्पाद झंझारपुर थाना कांड संख्या–43/2026 (अन्तर्गत धारा: 30(ए), 32(1), 32(3) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम) मे गिरफ़तारी की आशंका के आधार पर दाखिल अग्रिम जमानत दिनांक 17.06.2026 को उनके विद्वान अधिवक्ता श्री परशुराम मिश्र एवं बलभद्र झा द्वारा प्रचालित किया गया जिसकी प्रति विद्वान विशेष लोक अभियोजक अरविंद प्रसाद वर्मा को पूर्व मे ही प्रदान की गयी है। उक्त जमानत आवेदन पर उभय पक्षो के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता अग्रिम जमानत आवेदन संचालित करते हुए अभिकथित करते है कि आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा कोई आपराध नही किया गया है। आवेदक अभियुक्त के ओर से पूर्व मे न तो विशेष न्यायालय (उत्पाद) के समक्ष अथवा माननीय उच्च न्यायालय पटना के समक्ष कोई जमानत याचिका न तो लंबित है और न ही दाखिल किया गया है। आवेदक व्यस्क है एवं उनका इस कांड के अलावे कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को गांव के गंदी राजनीति के तहत झूठा वाद में फंसाया गया है। आवेदक अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नही की गयी है। अभियोजन का वाद सरा–सर झुठा, मनगढ़त व बनावटी है। याचिकाकर्ता न्यायालय के सभी निर्देशो का अनुपालन करने को तैयार है तथा अच्छे से अच्छा जमानतदार देने को तैयार है। अतः आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने किये जाने की प्रार्थना करते हैं। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत का घोर विरोध किया गया तथा अभिकथित किया गया कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा घटनास्थल से गिरफतार अभि0 जयप्रकाश मुखिया द्वारा घटनास्थल से भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे याचिकाकर्ता का नाम बताया गया है तथा याचिकाकर्ता द्वारा घटनास्थल पर छोडे गए ब्लू रंग के होण्ड़ा साईन मोटरसाईकिल से कुल 90 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब की बरामदगी हुई है। बिहार मधनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत अवेदन का वर्जना किया गया है। अतः याचना करते है कि याचिकाकर्ता के ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोषनीय नही है। उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख तथा अभिलेख पर उपलब्ध अद्यतन कांड दैनिकी का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 30(ए), 32(1), 32(3) के अंतर्गत दर्ज किया गया है। बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) के अधीन अग्रिम जमानत आवेदन का वर्जन किया गया है, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रामविनय यादव बनाम बिहार राज्य मे यह निर्धारित किया गया है कि बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) अन्तर्गत अग्रिम जमानत आवेदन पोषणीय नही है, फिर भी यदि मामले मे अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया अपराध नही बनता है तब आवेदन पोषणीय माना जा सकता है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि याचिकाकर्ता प्राथमिकी नामजद अभियुक्त है तथा दिनांक 24.02.2026 को प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर इस केस के सूचक एंव अन्य पुलिस बल संध्या समय करीब 07:00 बजे बौन टोल एवं मेन्हा टोल के पास स्थित चिगनी भट्टे के पास पहुँचे तो छापामार दल को देख सभी व्यक्ति मोटरसाईकिल छोडकर भागने लगे जिनमे से जयप्रकाश मुखिया मे अभिरक्षा मे लेते हुए भागने वालो का नाम पूछा गया तो जयप्रकाश मुखिया ने भागने मे सफल रहे व्यक्ति के रूप मे आवेदक दुर्गानन्द कुमार चौपाल एवं अन्य का नाम बताया। तलाशी के क्रम मे आवेदक द्वारा घटनास्थल पर छोडे गए ब्लू रंग के होण्ड़ा साईन मोटरसाईकिल से कुल 90 लीटर नेपाली देशी मामाश्री शराब बरामद किया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 30 (शराब जांच प्रतिवेदन) के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि घटनास्थल से जप्त पदार्थ शराब है। कांड	

Nayankumar.

उपस्थितः–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि0 न्या0 उ0, झंझारपुर

Scanned with CamScanner

न्यायालय अनन्य विशेष न्यायाधीश (उत्पाद), झंझारपुर

अग्रिम जमानत संख्या–608/2026

(उत्पाद झंझापरु थाना कांड संख्या–43/2026; अन्तर्गत धारा: 30(ए), 32(1), 32(3) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम)

बिहार सरकार बनाम दुर्गानंद कुमार चौपाल

18.07.2026	दैनिकी के कंडिका 03, 04, 07, 08, 12 एवं 19 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि सभी साक्षियो द्वारा घटना का पूर्णरूपेण समर्थन किया गया है तथा याचिकाकर्ता के घटनास्थल से फरार होने मे सफल रहने एवं उनके द्वारा घटनास्थल पर छोडे गए मोटरसाईकिल से शराब के बरामदगी की पुष्टि की गयी है, जिससे प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के इस कांड मे शराब के परिवहन तथा कारोबार मे संलिप्तता परिलक्षित होती है। पूरक कांड दैनिकी के कंडिका 20 के अवलोकन से परिलक्षित होता है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है परंतु उपरोक्त वर्णित तथ्यों तथा वाद की परिस्थितियों, आपराध की प्रकृति एवं विशेषतया वाद के वर्तमान प्रक्रम तथा इस कांड मे की गयी बरामदगी एवं बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम की धारा 76(2) को ध्यान मे रखते हुए आवेदक **दुर्गानंद कुमार चौपाल** की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन पोष्णीय नही होने के कारण **खारिज** किया जाता है। लेखापित Nayankumar. 18.07.26 (श्री नयन कुमार) अनन्य विशेष न्यायाधीश, उत्पाद, झंझारपुर	

उपस्थित:–श्री नयन कुमार
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–IV–सह–अनन्य वि० न्या० उ०, झंझारपुर

Scanned with CamScanner